षोडश

बिहार विधान-सभा

चतुर्थ सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 08 अग्रहायण, 1938 (श0) / 29 नवम्बर, 2016 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1) शिक्षा विभाग	.. ..	04
(2) समाज कल्याण विभाग	.. ..	01
(3) परिवहन विभाग	.. .	01
	कुल योग —	06

मध्याह्न भोजन

4. श्री (मो0) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का मध्याह्न भोजन संचालन की व्यवस्था का जिम्मा उस प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सहित संचालन में काफी समय लग जाता है जिसके कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अन्य संस्था से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

5. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानानुसार ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यताप्राप्त किये बिना तकनीकी कोर्सों में नामांकन नहीं लिया जा सकता है परन्तु राजधानी पटना में अवस्थित सीमेज, बोरिंग रोड एवं एडभांटेज मैनेजमेंट सहित 12 तकनीकी संस्थानों द्वारा बिना मान्यता के ही नामांकन लिया जा रहा है जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिना ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यताप्राप्त किये नामांकन लेने वाले तकनीकी संस्थानों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि विमुक्त करना

6. डॉ0 रामानुज प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित शीर्षक ''गरीबों का दुःख बढ़ा रही सरकार की बेरूखी'' के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार हेतु कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना से शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में 3,000 (तीन हजार) रु0 मदद देने का प्रावधान किया गया है परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण विगत एक साल से उक्त योजना के लिये राशि जारी नहीं की गयी है, जिससे गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राशि विमुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विशेष रंग की बत्ती लगाना

'क'-7. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के सर्वोच्च पदों को धारण करने वाले माननीयों को अपने-अपने वाहनों में विशेष रंग की बत्ती लगाने का अधिकार प्राप्त है परन्तु बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संसद के माननीय सदस्यों को भी विशेष रंग की बत्ती अपने-अपने वाहनों में लगाने का अधिकार प्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों को विशेष रंग की बत्ती अपने-अपने वाहनों में लगाने के लिये अधिकृत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से परिवहन विभाग को स्थानांतरित ।

वेतन भुगतान करना

8. श्री तार किशोर प्रसाद--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित शीर्षक "विभागीय लापरवाही से नहीं मिल रही सैलरी" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालय एवं विद्यालय के शिक्षकों का वेतन विगत तीन महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग ने वर्ष 2003-04 से 2015-16 के बीच खर्च किये गये 10 हजार करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया है जिसक कारण भुगतान लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शिक्षकों को वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संचालित करना

9. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में जहाँ उच्च विद्यालय नहीं है वहाँ एक उच्च विद्यालय सरकार द्वारा खोलने का प्रावधान किया गया है लेकिन अभीतक सभी शर्तें पूरा करने के बाद भी 50 प्रतिशत उत्क्रमित विद्यालय संचालित नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुये चालू सत्र में ही शर्त पूरा करने वाले उत्क्रमित उच्च विद्यालय को संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 29 नवम्बर, 2016 (ई0) ।

रामश्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 56-डी0टी0पी0-500